संख्या-11/2016-आडिट-2-991/दस-2016-606(1)/2015

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0
तृतीय तल, विकास दीप,
हुसैनगंज, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 07 अप्रैल, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-200-अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन-आयोजनेत्तर-03-भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-200-अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन-आयोजनेत्तर-03-भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन में प्राविधानित धनराशि रूपये 11,72,51,000/- (रूपये ग्यारह करोड, बहत्तर लाख, इक्यावन हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये 11,72,51,000 /- (रूपये ग्यारह करोड, बहत्तर लाख, इक्यावन हजार मात्र) (मतदेय) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(हजार रूपये में)

लेखा शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राविधानित धनराशि
राजस्व लेखा	
लेखा शीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-200-अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन-	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनेत्तर-03-भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन-	
01- वेतन	41450
03- मंहगाई भत्ता	56372
04- यात्रा व्यय	1200
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200
06- अन्य भत्ते	5100
07- मानदेय	100
08- कार्यालय व्यय	2000
09- विद्युत देय	1100
10- जलकर/जल प्रभार	86
11- लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई	1200
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	700
13- टेलीफोन पर व्यय	450
14- मोटर गाडियों का क्रय	1
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	450
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	400
17- किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	1622
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	300
29- अनुरक्षण	700
42- अन्य व्यय	600
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा हेतु अन्य प्रासंगिक व्यय	100
45- अवकाश यात्रा व्यय	200
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ़टवेयर का क्रय	500
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	700
49- चिकित्सा व्यय	1700
51- वर्दी व्यय	20
योग	11,72,51

(रूपये ग्यारह करोड, बहत्तर लाख, इक्यावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- धनराशियों का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार प्रविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एर्लाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4- यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखा शीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

5- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीया,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव।

संख्या-11/2016-आडिट-991(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in